

27-02-18

पत्रा. पेश हुई। प्रकरण में बार-बार आवाज  
लगवाई गई किन्तु वादीगण असालतन या  
वकालतन उपस्थित नहीं किये। अतः प्रकरण अद्वय  
द्वारा व अद्वय चैरवी में रजिस्ट्रिज किया जाता  
है। पत्रावली फैसल शुभान् होकर मंवर से कम  
है एवं बाद तकमील जमा जिल्ला अफिलेवागार  
है।

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
गंगापूर सिटी